

आ० सं०-01/स्था०(विविध)-36/2024...../वि०, पटना, दिनांक

:: आदेश ::

कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम-2013 के आलोक में कार्यस्थलों पर लैंगिक उत्पीड़न को रोकने के संबंध में दिशा निर्देश एवं शिकायत निवारण समितियों का गठन संबंधी सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०-17903, दिनांक-29.12.2014 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में वित्त विभाग में विभागीय आदेश सं०-317, दिनांक-10.01.2023 द्वारा गठित आंतरिक परिवाद समिति का पुर्नगठन निम्नवत् किया जाता है ।

- | | | |
|--|---|-------------|
| (i) श्रीमती रूपम, संयुक्त आयुक्त | - | अध्यक्ष |
| (ii) श्री ऋषिकेश, अवर सचिव, | - | सदस्य |
| (iii) श्रीमती अलका सोनी, प्रशाखा पदाधिकारी | - | सदस्य |
| (iv) श्रीमती झुम्पा सिन्हा, आईटी0 मैनेजर | - | सदस्य |
| (v) श्रीमती श्वेता रानी, विधि सहायक (संविदा) | - | बाह्य सदस्य |
- वित्त विभाग, बिहार, पटना ।

2. इसके पूर्व निर्गत आदेश को इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे ।

3. उपर्युक्त समिति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०-17903, दिनांक-29.12.2014 में वर्णित प्रावधानों एवं दिशा निर्देश के आलोक में महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधी निर्धारित अवांछनीय व्यवहार के संबंध में की गई शिकायतों का कालबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करेंगी और मामले की गोपनीयता कायम रखते हुए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की अनुशंसा कर सकेगी ।

3. समिति की निमित्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगी एवं अपने कार्यों के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन विभागीय अपर मुख्य सचिव/सचिव को देगी ।

ह०/-

(राम चन्द्र मंडल)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था०(विविध)-36/2024...../वि०, दिनांक -.....

प्रतिलिपि:- अध्यक्ष-सह- प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/विभागीय परिवाद समिति के अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था०(विविध)-36/2024...../वि०, दिनांक -02-04-2026

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग के सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Ramandal
02-04-2026

सरकार के अवर सचिव।